

DAV MUKHYAMANTRI PUBLIC SCHOOL

KUNJARA, LAILUNGA, Raigarh (C.G.) Managed by D.A.V. College Managing Committee, New Delhi -55 (Affiliated to CBSE, Affiliation No.3330351, School No.17035) Mob. 7587017457 / E-mail: <u>davmpskunjara@gmail.com</u>

Om

DAVMPS/Kunj/2023-24/58


Date: 17/06/2023

SELF CERTIFICATION

DAV Mukhyamantri Public School is Govt. School; It is run by Govt. from 2011 to 2016 as a model school. Later on it was handed over to DAV, So NOC & Recognition is not required.

(Sushil Kumar Yadav) PRINCIPAL DAV Mukhyamantri Public School Kunjara, Lailunga Dist.-Raigarh (C.G.)

> MANAGED BY- DAV COLLEGE MANAGING COMMITTEE CHITRA GUPTA ROAD, DELHI Kunjara, Block-Lailunga, Dist- Raigarh (C.G.) e-mail:- <u>davmpskunjara@gmail.com</u> Website: www.davmpskunjara.in



क. एफ 13-74/20-3/2010 राज्य शासन एतद द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा एव साक्षरता विभाग भारत शासन की स्वीकृति विनांक 17 JUNE 2010 के अनुपालन में प्रदेश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकासखण्डों में केन्द्रीय विद्यालय की तर्ज पर निग्नलिखित सूची के कॉलम (2) में दर्शित स्थानों के अनुसार 52 नवीन मॉडल स्कूल खोलने की स्वीकृति प्रदान करता है:--

2 उक्त 52 नवीन मॉडल स्कूल हेतु रू. 302 लाख प्रति स्कूल की दर से 157.04 करोड की रासकीय स्वीकृति वित्त विभाग के यू०ओ० कमांक 27/32679/ब-3/2011 दिनांक 15.02 2011 द्वारा प्रदान की गई है:--

The second second		State of the second	T CONTRACTOR	and the second s
क्र.	स्वीकृत मॉडल स्कूल का नाम	विकासखण्ड का नाम	जिला का नाम	संचालन हेतु निर्धारित कक्षार्थ
1	2	3	4	5
1	मॉडल स्कूल करमरी	बस्तर	बस्तर	6 वीं से 12 वीं
2	मॉडल स्कूल देव खरगांव	कॉडागांव	बस्तर	6 वीं से 12 वीं
3	मॉडल स्कूल जगदलपुर	जगदलपुर	बस्तर	6 वीं से 12 वीं
4	मॉडल स्कूल सिंघनपुर	तोकापाल	बस्तर	6 वी से 12 वीं
5	मॉडल स्कूल गुमदपाल	दरभा	बस्तर	6 वीं से 12 वीं
δ	मॉडल स्कूल लम्दागुडा	लोहानडीगुडा	बस्तर	6 वीं से 12 वीं
= 1	मॉडल स्कूल लालागुडा	बस्तनार	बस्तर	6 वीं से 12 वीं
18	मॉडल स्फूल उदिदगांव	माकडी	वस्तर	6 वीं से 12 वीं
9	मॉडल स्कूल उल्नार	बकाबंद	बस्तर	6 वीं से 12 वीं
10	मॉडल स्कूल बडे डोंगर	फरसगांव	बस्तर •	6 वीं से 12 वें
11	मॉडल स्कूल विश्रामपुरी	बर्डराजपुर	बस्तर	6 वीं से 12 वी
12	मॉडल स्कूल गरकागुडरेपारा	केशकाल	बस्तर	6 वीं से 12 वा
13	मॉडल स्कूल भैरमगढ	भैरगगढ़	बीजापुर	6 वीं से 12 वीं
14	मॉडल स्कूल मांधीगुडा	बीजापुर	बीजापुर	6 वीं से 12 वी
15	मॉडल स्कूल गोढी -	बिल्हा	बिलासपुर	6 वी से 12 की
16	मॉडल स्कूल सरबहरा .	गौरेला	बिलासपुर	6 वीं से 12 वीं
17	मॉडल स्कूल गोबरीपाट।	कोटा	बिलासपुर	6 वीं से 12 वीं
18	मॉडल स्कूल डोंगरियां -	मःवाही	बिलासपुर	6 वीं से 12 वी
19	मॉडल स्कूल वेदपरसदा	मत्तुरी	बिलासपुर	6 वीं से 12 वी
20	मॉडल स्कूल फुलवारी जरहागांव	मुंगेली	बिल्प्रसपुर	6 वी से 12 व
	मॉडल स्कूल जरेली (पेण्ड्री).	पगरिया	बिलासपुर	6 दी से 12
20 CO	मॉडल स्कूल कुडकई	पेण्ड्रा	बिलासपुर	8 वी से 12
	मॉडल स्कूल देवरी खुर्द काथाकोनी।	तखतपुर	बिलासपुर	6 वी से 12
I There		A		

2		दत्तेवाडा		
2:	5 माडल स्कूल बडेगुडा	कटेकल्याण	दलेवाडा	6 वीं से 12 वी
26	मांडल स्कूल कोन्टा	कोन्टा	दत्तेवाडा	6 वीं से 12 वीं
27	मॉडल स्कूल कुत्राबोढ	पासगढ	दतेवाडा	6 वीं से 12 वीं
28	मॉडल स्कूल बगीचा	बगीचा	, जांजगीर चांपा	6 वी से 12 वी
29	मॉडल स्कूल कन्साबेल	कन्साबेल	जशपुर	6 वीं से 12 वीं
30	मॉडल स्कूल पन्डरी पानी	पथलगांव	जशपुर	6 वी से 12 वी
31		कवर्धा	जशपुर	6 वी से 12 वी
32	मॉडल स्कूल लडुवा	पंडरिया	कबीरधाम	6 वीं से 12 वी
33	मॉडल स्कूल कुसुमघटा	बोडला	कबीरधाम	6 वी से 12 वीं
34	मॉडल स्कूल खरमोरा	कोरबा	कबीरधाम	6 वीं से 12 वीं
35	HIGH JOSE TAUT	करतला	कोरबा	6 वीं से 12 वी
36	मॉडल स्कूल जेन्जरा	manufacture and a second s	कोरबा	6 वीं से 12 वीं
37	मॉडल स्कूल सैला	कटघोरा	कोरबा	6 वी से 12 वीं
38	मॉडल स्कूल दर्रामाटा	पाली,	कोरबा	6 वीं से 12 वीं
39	मॉडल स्कूल सकरिया	पोण्ड्यू प्रोरा	कोरबा	6 वीं से 12 वीं
40	मॉडल फान जातेन	खडगवान	कोरिया	6 वीं से 12 वी
	मॉडल स्कूल कछौड	मनेन्द्रगढ	कोरिया	6 वीं से 12 वीं
41	मॉडल स्कूल जनकपुर	भरतपुर	कोरिया	6 वीं से 12 वी
42	मॉडल स्कूल सुलेना	नारायणपुर	नारायणपुर	6 वीं से 12 वीं
43	मॉडल स्कूल ओरछा	ओरछा	नारायणपुर	6 वी से 12 वी
44	मॉडल स्कूल कुन्जरा	लैलुंगा	रायगढ	6 वी से 12 वीं
45	मॉडल स्कूल मुंगझर	देवभोग	रायपुर	6 वीं से 12 वी
46	मॉडल स्कूल देहारगुडा	मैनपुर	रायपुर	6 वीं से 12 वी
47	माडल स्कूल खमरिया	बिलाईगढ़	रायपुर	
48	मॉडल स्कूल छरछेद	कसडोल		6 वीं से 12 वी-
49	मॉडल स्कूल सकरी	बलौदाबाजार	रायपुर	6 वी से 12 वी
50	भाँडल स्कूल टिकुलिया	भाटापारा	रायपुर	6 वी से 12 वी
51	मॉडल स्कूल परसा		रायपुर	6 वीं से 12 वीं
52	मॉडल स्कूल तिल्सिवान	अम्बिकापुर	सरगुजा	6 यी से 12 यी
	and the second second	सुरजपुर	सरगुजा	6 वीं से 12 वीं

- 3/ उपरोक्तानुसार मॉडल स्कूलों के लिए नवीन पदों की स्वीकृति (सेटअप) पृथक से जारी किया जावेगा।
- 4/ उपरोक्तानुसार स्वीकृत मॉडल स्कूलों में कक्षा 6 वीं से 12 वीं तक अध्यापन होगा। छात्रों का प्रवेश कक्षा 6 वीं में प्रारंभिक खयन परीक्षा के माध्यम से किया जावेगा। मयिष्य में आवश्यकतानुसार कक्षा 9 वीं एवं 11 वीं में चयन परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जा सकेगा. जिसके संबंध में पृथक से निर्देश जारी किया जावेगा।

(the

5/ उक्त मॉडल स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा।

उतरा शालाये केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध होगी। तद् नुसार पठन-पाठन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल के पाठ्यक्रम के आधार पर किया जावेगा।

उता शालाओं का प्रशासकीय एवं विस्तीय नियत्रण वर्तमान में केन्द्रीय विद्यालय के तर्ज पर मौडल स्कूल के राज्य कार्यालय, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान छ.ग. रायपुर, का होगा। इस विषय में इस व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकेगा।

 उक्त शालाओं को आगामी सत्र 2011 (जुलाई 2011) से प्रारंभ किया जावेगा।
शाला प्रारंभ करने के पूर्व सेटअप जारी करने एवं शिक्षक मर्ती का कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा। इस हेतु पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे।

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(विलियम कुजूर) उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विमाग

पू क्र एफ 13-74/20-3/2010 प्रतिलिपि:- रायपुर, दिनाँक १६ ११।

- श्री भास्कर दास गुप्ता अवर सचिव मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार नई दिल्ली ।
- 2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर।

20

- विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर।
- 4. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर।
- 5. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ शासन, वित विभाग, मंत्रालय रायपुर ।
- सचिव, छत्तीसगढ शासन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर ।
- 7. समस्त संभाग आयुक्त छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 8. महालेखाकार छ.ग. शासन रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 9. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 10. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विमाग, छ.ग. की ओर सादर सूचन थे प्रेषित।
- 11. आयुक्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

छल्लीसगढ़ शासन रकूल शिक्षा विभाग मंत्रालय गहानदी भवन, नया रायपुर

क्र/एफ 13-5/2016/20-तीन (1) नया रायपुर, दिनांक 30/03/2016 प्रति,

110,

कलेक्टर.

जिला— बलौदाबाजार, बलस पपुर, बस्तर, बेमेतरा, बिलासपुर, गरियाबंद जांजगीर—चांपा, जेशपुर, कर्नोरधाम, कोण्डामांव, कोरबा, कोरिया, मुंगेली रायगढ़, सूरजपरु, सरगुजा

विषय:-59 मॉडल स्कूल का संज्ञालन पीपीपी मोड पर कराया जाना।

भारत सरकार, मानव रेसेसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छ.ग. राज्य में शैक्षणिक रूप से पिछड़े 74 विकासखण्डों में उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिए जाने हेतु राज्य माध्यमिक शिक्षा भिशन के अंतर्गत मॉडल स्कूल की स्थापना की गई है। भई 2015 से मॉडल स्कूल का हस्तांतरण पूर्ण रूप से राज्य शासन को कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के 59 मॉडल स्कूलों का संचालन कॉमर्सियल आधार पर किए जाने का निर्णय लिया गया है। इन 59 विद्यालयों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न है। इनका रांचालन डीएव्ही कॉलेज मैनेजिंग कमिटी, चित्रगुप्त रोड, पहाडगंज, नई विल्ली संस्था द्वारा किया जाएगा। संस्था से किया गया अनुबंध की छायाप्रति पृथक से प्रेषित की जा रही है।

संचालन के मुख्य बिन्दु :--

· (क) भवन –

 अप्रैल 2016 से सभी विद्यालयों का भवन, मैदान एवं सामग्री संबंधित संस्था को 30 वर्ष की अवधि के लिए जपयोग हेतु उनको Usage Rights (उपयोग का अधिकार) अंतर्गत उपलब्ध कराया जाएगा। इस हेतु एक स्थानीय अनुबंध निष्पादित किया जाएगा, जिसका मूल्य रू. 100 प्रति शाला के हिसाब से होगा। प्रत्येक शाला हेतु पृथक अनुबंध होगा। इस हेतु तत्काल कार्यवाही करें / निर्देश जारी करें।

2. विद्यालय एवं मैदान का स्वागित्व छ ग शासन के पास ही रहेगा।

- सभी विद्यालय 'जहां है, जैसे हैं" के आधार पर उन्हें संचालन हेतु उपलब्ध होंगे।
- विद्यालय में लगेने वाला अतिरिक्त फर्नीचर एवं सामग्री हेतु एकमुश्त अनुदान स्कूल शिक्षा विभाग एवं अनुबंधकर्ता के संयुक्त निरीक्षण पश्चात् जारी की जा सकेगी।
- शिक्षा विमाग एव अनुबन्धरता के सुरुष की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की 5. विद्यालय भवन के मरम्मत एवं, रखरखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की
- रहेगी। 6. अनुबंधित अवधि समाप्त होने पर निजी संस्था द्वारा सभी अचल संपत्ति तथा शासकीय प्रवत्त चल संपत्ति को छोड़कर उनके द्वारा लायी गई चल संपत्ति को शासकीय प्रवत्त चल संपत्ति को छोड़कर उनके द्वारा लायी गई चल संपत्ति को ले जाने की अनुमति भौति ह सत्यापन पश्चात दी जा सकती है।
- ल जान का अनुमान पारित को उसी स्थिति में वापस करेगा जिस स्थिति में 7. संस्था भवन एवं अचल संपत्ति को उसी स्थिति में वापस करेगा जिस स्थिति में उसे दिया गया है।

Scanned by CamScanner

调

अध्यापन (ख)

> 1. शाला का सम्पूर्ण रांचालन उक्त संस्था द्वारा किया जाएगा। इसमें अध्ययन-अध्यापन के अतिरिक्त प्रबंधकीय एवं गैर शैक्षकीय गतिविधियां भी उनके दायित्व में रहेगा।

1/2/1

- 2. शाला का कक्षा 1लीं से 12वीं तक निजी संस्था के माध्यम से संचालन होगा।
- 3. इन विद्यालयों में दिनांक 01 अप्रैल 2016 से शासन की ओर से कोई भी अतिथि शिक्षक कार्यरत नहीं होगे और न ही पदांकित होंगे।
- 4. संरथा द्वारा दो पालियों में पुविधानुसार कक्षा का संचालन किया जा सकता है।
- इन विद्यालयों में अध्यापन कार्य अंग्रेजी माध्यम सीबीएसई पाठ्यकम आधारित होगी।
- किसी भी कक्षा में विद्यार्थि हो की अधिकतम संखंधा 90 होगी। प्रत्येक कक्षा में न्यूनतम 02 सेक्शन होंगे।
- 7. स्कूल शिक्षा विभाग की पूर्व अनुमति से दो से ज्यादा सेक्शन भी किसी कक्षा के लिए खोला जा सकता है।
- विद्यालयों का संचालन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्राप्ति के सिद्धान्तों पर आधारित होगा।
- 9. जिन विद्यालयों की मान्यता सीवीएसई से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ली जा चुकी है वह अनुबंधकर्ता को हस्तांतरित हो जाएगी। नयी मान्यता तथा हस्तानान्तरण हेतु होने वाला व्यय अनुबंधकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

(ग) वित्तीय प्रबंधन -

- 1. इन 59 विद्यालयों में वर्तमान में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए संस्था को राज्य शासन द्वारा आगामी आदेश पर्यन्त रू. 7216 प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष प्रदाय किया जाएगा।
- 2. संस्था स्वयं के साधन से जाला संचालित करेगा, इस हेतु वह स्थानीय तौर शासकीय कोटे एवं RTE कोटे को छोड़कर, अन्य विद्यार्थियों से Fees प्राप्त कर सकता है।
- 3. अनुबंधकर्ता द्वारा विद्यालयों का संचालन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्राप्ति के सिद्धान्तों पर किया जाएगा, इसके लिए 04 राूचकांक तय किए गए हैं, जिसमें कमी पाये जाने पर अनुबंधकर्ता को होने वाले गुगतान में कटौती की जा सकेगी। सुलभ संदर्भ हेतु अनुबंध के नियम - 19 में विस्तृत ऊप से जानकारी उपलब्ध है। यह सूचकांक होंगे-
 - 1. 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, 2. निजी तथा शासकीय विद्यार्थियों के मध्य उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की तुलना,

 - ड्राप आउट अनुपात, एवं
 - कक्षा 6वीं से 12वीं तक विद्यार्थियों द्वारा सीसीई में प्राप्त ग्रेड।

(घ) दाखिला--

1. इन विद्यालयों में दाखिला शासकीय कोटा एवं RTE कोटे को छोड़कर, संस्था द्वारा

- किया जाएगा।

- कक्षा 6वीं अथवा आमे की कक्षाओं में कोई भी नया दाखिला कलेक्टर द्वारा / जिला स्तर पर नहीं किया जाएगा।
- 3. अनुबंध के अनुसार संस्था उन विद्यालयों में रिक्त सीटों पर खुली प्रवेश नियम से सीट भरने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। सभी कक्षाओं में कुल निर्मारित सीट का 08 प्रतिशत् सीट निःशुल्क होंगे तथा 25 प्रतिशत् सीट RTE Norms के आधार पर भरे जाएंगे। इस प्रकार दो सेवशन मानते हुए प्रत्येक कक्षा में कुल स्वीकृत अधिकतम 90 सीट में से 7 सीट निःशुल्क शासकीय कोटा एवं 23 सीट शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दाखिला दे सकते हैं।
- 4. इनमें से 25 प्रतिशत् ऐसे विवार्थी जिनका नामांकन आव्हीई नार्मस के आधार पर किया गया है. उनके फीस की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा किया जाएगा एवं 8 प्रतिशत् निःशुल्क शासकीय कोटे के विद्यार्थियां को संबंधित संस्था कक्षा पहली से बारहवीं तक पूर्णतः निःशुल्क अध्ययन–अध्यापन कराया जाएगा।
- 5. इस 8 प्रतिशत निःशुल्क शासकीय कोटा वाले विद्यार्थियों का चयन कलेक्टर द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा। इस समिति में जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण अनिवार्य रूप से सम्मिलित होंगे।
- 6. संरथा द्वारा कक्षा 1ली से 6वीं तक का नामांकन (दाखिला) इस वर्ष किया जा सकेगा। कक्षा 7वीं से 12वीं तक अध्ययनरत् विद्यार्थियों के अतिस्कित प्रत्येक कक्षा में सीट रिक्त होने पर निजी संरथा खुले प्रवेश नियम के तहत् सीट भरने के लिए स्वतंत्र होगा, जिनका फीस निजी संस्था ले सकेगी। परंतु कक्षावार कुल स्वीकृत सीट संख्या से अधिक की दाखिला बिना विभागीय पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।
- . 7. वर्तमान नामांकित विद्यार्थी जहं तक 12वीं उत्तीर्ण नहीं होते हैं तबतक उन्हें पढ़ाने एवं उत्तीर्ण करने की जिम्भेदारी निजी संख्या की होगी।

(च) अन्य निर्देश –

- मूंकि शाला संस्था द्वारा संचालित किया जाएगा, अतः उसकी मान्यता, आदि हेतु शर्तो का पालन तथा आवश्यकतानुसार मान्यता हेतु अर्हता पूर्ण करने की जिम्मेदारी उक्त संस्था की रहेगी।
- 2. सभी विद्यालयों का संचालन शाला प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसका अध्यक्ष संस्था द्वारा नामांकित व्यक्ति होगा, एवं जिसका उपाध्यक्ष कलेक्टर द्वारा नामांकित जिले का राजपत्रित अधिकारी होगा। इस शाला प्रबंधन समिति में जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण अनिवार्यतः सदस्य होंगे।
- 3. प्रत्येक विद्यालय को "विद्यार्थियों का लैंगिक अपराध एक्ट 2012" का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 4. संरथा द्वारा किसी भी प्रकार के अनुबंध की उल्लंघन एवं नियमों का उल्लंघन करने पर शासन द्वारा ग्रेडेड पैनल्टी एवं टर्भिनेशन का भी प्रावधान रखा गया है, जिसका उल्लेख Concessionnaire Agreement में है।

Scanned by CamScanner

- 11416
- 5. संस्था द्वारा अनुबंध समापित के लिए नोटिस के बाद 01 सम्पूर्ण शैक्षणिक वर्ष तक (जब तक दूसरी व्यवस्था न हो जाए) स्कूलों का संचालन करना अनिवार्य होगा।
- 6. प्रभावशील राज्य एवं केन्द्र के कानून, नियम एवं निर्देश तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा निर्धारित अन्य सभी नियम एवं परिनियम लागू होंगे।

संलग्नः- 59 विद्यालयों की सूच ।

30/3/6 सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

q. इ./एफ 13-5/2016/20-तीन (1) प्रतिलिपि:-

नया रागपुर, दिनांक 30 /03/2016

- 1 निज सचिव, माननीय मंत्री, ७.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर को सादर सूचनार्ध।
- 2 आयुक्त, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, वस्तर एवं सरगुजा संभाग को सूचनार्थ।
- 3 संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हत्।
- 4 प्रबंध संचालक, राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन, छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत्।
- 5 मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी सहं जिला परियोजना अधिकारी,-बलौदाबाजार, बलरामपुर, बरतर, बेमेतरा, बिलासपुर, गरिवाबंद, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कबीरधाम, कोण्डागांव, कोरबा, कोरिया, मुंगेली, रायनढ़, सूरजपरु, सरगुजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत्।
- ा सहायक आयुक्त, आदिम जाति कंत्याण विभाग, जिला बलौदाबाजार, बलरामपुर, बस्तर, बेमेतरा, बिलासपुर, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कबीरधाम, कोण्डागांव, कोरबा, कोरिया, मुंगेली, रायगढ़, सूरजपरु, सरगुजा को सूचनार्थ।

सचिव उ०)।(

छ.ग.शाखन, स्कूल शिक्षा विभाग

	- ×(k)	5	9 मॉडल स्कूल	-	मॉछल स्कूल का नाम
	जिला	T	विकासखंड	रतम्	ःरिय।
-		विला		हरा	
e	त्नीदाबाजार भूषणजार	40.4%		सव	
	तीदावाजार शैल्पसाजार		য়ানাজাৰ		हुलिया
-	लौदाबाजार जेल्लाबाजार	21161	and the second se	1 71	वरमाल
	वलीदाबाजार		वंतपुर	-	नगर
	बलरामपुर'	可浸	कनगर	-	तरातु
-+	वलरामपुर	5.2	पुर	1	रमरी
-	बलरामपुर	हाम्ह	र	-	
-	वरतर -		दलपुर		ाडावाले भूजनपुर
-	वरतर .		जपाल	14	धनपुर मदपाल(छिंदावाडा)
0	बरतर	च्या			
	बस्तर	the second s	डानडीगुडा		मदागुड़ा
2	बरतर		तनार	ē	नालागुड़ा
3	यरतर			5	রনার
4	बरतर		नवंद जन्म	1	जांता
5	बे मेतरा		सर।	7	गोढी
6	विलासपुर		ल्हा	-	सरबहरा
7	बिलासपुर		रेला	-	गोबरीपाट
-	विलासपुर -	च्,	15	-	
8	Version and the second s	ŦŢ	खाही . 🥂	-	कुम्हारी २००० गाँव
9	बिलासपुर किलासपुर	73	त्तुरी		वेदपरसदा
0	विलासपुर िल्लापार	Ú	্বা, ,		कुडकई
1	बिलासपुर		रबतपुर -		देवरी खुर्व
2	बिलासपुर		वभोग बभोग		मुंगझर
3	गरियाबंद		and the second sec	-	देहारगुडा
24	गरियाबंद		नपुर		कुत्राबोड
25	जांजगीर-चोपा		ग्रामगढ	-	बगीचा
26	जशपुर	-	ाीचा		And and an
27	जशपुर		कांसाबेल		कांसाबेल
28	जशपुर		पत्थलगांव	1012-1	पंडरी पानी
-	कबीरधाम		कवर्धा		धरमपुरा
29		deres de	पंडरिया		लडुवा
30	कबीरधाम		<u>कॉड</u> ागांच	Weine	देव खरगांव
31	कोंडागोव	26			and the second
32	कॉडागांव		माकडी		बेलगांव
33	कॉंडागांव		फरसगांव	1	बडे डोंगर
34	कोंडागांच	0.1	बडेराजपुर	20	विश्रामपुरी (होनाव
35	कोंडागांव		केशकाल		गरकागुङ्ख्यारा
				100	
36			कोरबा		
37	कोश्बा		वरतला		बड़मार

.

÷

-

Scanned by CamScanner

39	कोरबा	् पग्ली	सैला
40	कोरबा	पोंडी उपरोडा	ू डोंगरतराई(भावर)
41	कोरिया	खडगवान	राकरिया
42	कोरिया	मनेन्द्रगढ	कछौद
43	कोरिया	भरतपुर	चानकपुर
44	मुंगेली	मुगली	बीरगांव फुलवारी
45	मुंगेली	पशरिया	जरेली (पेण्ड्री)
46	मुंगेली	ं लोरमी	कोतरी
47	रायगढ	ले नुंगा ।	कुन्जारा
48	रायगढ	धःशजयगढि	धरमजयगढ
49	सरगुजा	में ।पाट	नर्मदापुर
50	सरगुजा	ल बनपुर ्	केवडी
51	सरगुजा	बतोली	भटको
		ल ड्रा	कडकी
52	सरगुजा	सीलापुर	प्रतापगढ
53	सरगुजा	अध्विकापुर	परसा
54	सरगुजा		सन्नीबर्रा
55	सरगुजा	→ उदयपुर	जामड़ी
56	सूरजपुर	<u> </u>	कनकनगर
57	सूरजपुर	प्रतापपुर	the second se
58	सूरजपुर	ओडगी	कलामजन
59		सूरजपुर	तिल्सियां

अवर समिव अवर समिव छत्तीसगढ़ शालन रकुल शिक्षा विभाग मत्रालय, रायपः

Scanned by CamScanner